राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राधेश्याम बनाम सुगादास (744/2022, 798/2022) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 798/2022, 744/2022 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/06/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/06/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2020 पारित करते हुये तहसीलदार पावटा को आराजी हाल खसरा नम्बर 183/0.15, 184/0.46, 186/0.45, 192/2.40, 224/0.43, 225/0.80, 226/0.03, 227/0.17, 229/0.87, 230/0.82, 231/0.77, 233/0.76, 234/0.79 कुल किता 13 कुल रकबा 8.90 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर राजस्थान के मौके पर जाकर मौके व रिकार्ड के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि की मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर सभी पक्षकारान एवं सहखातेदारान के उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/04/2022 एवं संशोधित निर्णय 27/06/2022 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2020 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/04/2022 एवं संशोधित निर्णय 27/06/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 798/2022, 744/2022 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	मियाद का लाभ प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य न्यायहित में स्वीकार राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राधेश्याम बनाम सुगादास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
744/2022, 798/2022		

किये जाने न्यायोचित्त समझे जाते है | अत: दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाते है | अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के सन्दर्भ में दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2020 में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नही समझा जाता है | अत: प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 798/2022 अस्वीकार की जाती है | अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/04/2022 व 27/06/2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 744/2022 के सन्दर्भ में दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया पक्षकारान/सहखातेदारान का विभाजन न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुये अनुपालना नही किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की आपत्ति एवं सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/04/2022 व 27/06/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो क विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 744/2022 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर